

**12.01 hrs**

**Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members**

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर ? 2, श्री किंजरापु राममोहन नायडू जी ।

**THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU):** Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.335(E) in Gazette of India dated 19<sup>th</sup> June, 2024, under Section 14A of the Aircraft Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 205/18/24]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI SHRIPAD YESSO**

**NAIK):** Sir, I beg to to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(1) The Electricity (Second Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.45(E) in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> January, 2024.

(2) The Electricity (Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.36(E) in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> January, 2024.

(3) The Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) (Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.146(E) in Gazette of India dated 29<sup>th</sup> February, 2024.

(4) The Electricity (Third Amendment) Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.181(E) in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> March, 2024.

(5) The Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2024, published in Notification No. G.S.R.125(E) in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> February, 2024.

(6) The Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023, published in Notification No. L-1/2064/2022-CERC in Gazette of India dated 23<sup>rd</sup> January, 2024.

(7) Notification No. RA-14026(11)/4/2020-CERC. published in Gazette of India dated 12<sup>th</sup> April, 2024, extending the period of applicability of the RE Tariff Regulations, 2020, till 30<sup>th</sup> June, 2024 or notification of the Regulations by the Commission for the next control period, whichever is earlier.

[Placed in Library, See No. LT 206/18/24]

(8) The Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2024, published in Notification No. L-1 / 270 / 2023/CERC. in Gazette of India dated 14<sup>th</sup> June, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 207/18/24]

(9) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2024, published in Notification No. L-1/261/2021/CERC. in Gazette of India dated 1<sup>st</sup> July, 2024.

[Placed in Library, See No. LT 208/18/24]

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर ? 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री किरन रिजिजू जी ।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरन रिजिजू) : अध्यक्ष महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 209/18/24]

(3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 210/18/24]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) अधिसूचना सं. फा.सं. एफ/1/0027/2019/सीओआरडी/आवासन (समन्वय) जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.753(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, निदेशक (अनुसचिवीय), भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.635(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (प्रणाली), भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 20 फरवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.117(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (आयोजना), समूह ?क? पद, भर्ती नियम, 2024 जो दिनांक 28 जून, 2024 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.355(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(5) दिल्ली विकास प्राधिकरण (आयुक्त और सचिव के पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 4 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.366(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 211/18/24]

---